इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय से भूमि आवंटन की मूल पत्रावली भी तलब की गई। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से वकील श्री तंवरसिंह झाला द्वारा वकालतनामा पेश किया गया ।

प्रार्थीगण के योग्य अभीभाषक ने वक्त बहस अपील मेमो की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि यह आवंटन तथ्यो को छुपा कर कराया गया है वक्त आवंटन अप्रार्थी नं0 1 के खाते मे 26 बीघा से अधिक भूमि थी इस प्रकार अप्रार्थी न0 1 भूमिहिन नही था यह आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्राड के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है– इस भूमि पर अप्रार्थी न0 1 का आज तक कब्जा काश्त भी नही है न ही उसे इस पर दखल दिया गया है। आवटि द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नही की गई है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि उक्त आवंटित आराजी मेरी खातेदारी भूमि के बीच में स्थित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमे नियमानुसार आवंटन की गई है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का आध्योपान्त अवलोकन किया एवं बहस पर गोर किया गया यह आवंटन अप्रार्थी न0 1 को दिनांक 04.12.75 को किया गया है– पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है आवटी का आवटित भूमि पर कब्जा नही होने के कारण उक्त आराजी आवंटन के कई वर्षो बाद भी गेरखातेदारी मे दर्ज हैं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम चादंपुरा तहसील मनोहरथाना की खाता सख्या 42 मे ग्राम चादंपुरा मे 109.15 बीघा भूमि थी, इन्तकाल नम्बर 423 दिनांक 02.10.81 के अनुसार आवंटी के खाते हिस्सा 1/4 भूमि आना पाया जाता है। इस प्रकार आवंटी ने आवटन फार्म मे पिता श्री ग्यारसीलाल के नाम लगभग 109 .15 बीघा भूमि होने का अंकन आवंटन प्रार्थना पत्र मे नही किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवटन प्रार्थना पत्र की शर्त न0 2 का स्पष्ट उल्लधन किया है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार इस तथ्य को आवंटी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष छुपाया गया है–परिणाम स्वरुप हमारी राय मे मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर प्राप्त किये गये इस आवंटन को आवटी के पक्ष मे यथावत कायम रखा जाना हम उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति अकलेरा द्वारा दिनांक 14.12.75 को अप्रार्थी न0 1 फूलचन्द आ0 ग्यारसीराम के पक्ष मे किये गये ग्राम चादपुरा के ख0न0 744/679 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा के आवंटन को निरस्त किया जाता है एवं भूमि पुनः राजकीय खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं एक प्रति आवंटन की पत्रावली मे सलंग्न कर जिला अभिलेखागार मे भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(भवानीसिंह पालावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड

अति० कलक्टर प्रथम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी **भवानीसिंह पालावत** आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 49 / प्रा0पत्र 14(4) / 17 तारीख दायरा 20.04.2017

भवरलाल, हरकचन्द आ0 राधेश्याम जाति लोधा नि0 साडस मजरा खाताखेडी तह0 मनोहरथाना

——————————प्रार्थी

बनाम

1. फूलचन्द आ0 ग्यारसीराम लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहरथाना।
2. भूमि आवंटन सलाहकार समिति (एसडीओ) अकलेरा।

——————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 04.12.75

उपस्थितः– 1. श्री श्यामसुन्दर शर्मा II अभिभाषक प्रार्थी की और से
2 श्री तंवरसिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

–: निर्णय–: दिनांकः– 26.12.17

प्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषका यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति अकलेरा द्वारा दिनांक 04.12.75 को किये गये आवंटन ख0न0 744 / 679 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम चादपुरा को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है– प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि यह आवंटन करने मे आवंटन नियम उप नियमो की अवहेलना की गई है– अप्रार्थी न0 1 को आवंटित आराजी ख0न0 744 / 679 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वक्त आवंटन रिक्त नही थी और आज भी रिक्त नही है अपितु विगत 35 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे निरन्तर चली आ रही है । आंवटन के समय हल्का पटवारी द्वारा आवंटि से साजकर गलत रिर्पोट अप्रार्थी न0 1 के पास काई भूमि न होने की दी गई है। आवटन के पश्चात भी आवटि ने आज दिवस तक आवंटित भूमि पर कदम नही रखा है केवल कागजो मे आवटन है कोई दखल व कब्जा आवटि को नही सभलाया है। अप्रार्थी न0 1 भूमिहिन कृषक नही था न है उसके स्वये के खाते मे पूर्व से 26 बीघा से अधिक भूमि है इसलिए आवटन गेर कानूनी है। अप्रार्थी न0 1 ने सही तथ्यो को छुपाकर गलत तथ्यो व जानकारी के आधार पर भूमि का आवटन कराया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की है– अतः दिनांक 04.12.75 को किया गया आवन्टन निरस्त किया जावे। प्रकरण में दिनांक 23.05.2014 को हमारे द्वारा निर्णय पारित कर आवंटन आदेश दिनांक 04.12.75 खारिज कर दिया गया था–जिसकी अपील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी , कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2017 को निर्णय पारित कर हमारे द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.14 अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में फूलचन्द अप्रार्थी नं0 1 को जवाबदेही व सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)